TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-D of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/HQ/09/24C, dated 14.07.2014, the State Government hereby prescribes the rate of cess called Green Tax for different class of vehicles as specified in column number 2, at such time as specified in column number 3 of the table given below, at the rate specified against each in column number 4 thereof, namely:-

Table

S. No.	Class of vehicle	Time	Rate of cess (In Rs.)
1	2	3	4
1	**Non Transport Vehicle**	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of certificate of registration under sub-section (10) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	(A) Two Wheelers		500
	(B) Four Wheeled (Car, Jeep) diesel driven vehicles		
	(i) LMV with engine capacity upto 1500 cc		2000
	(ii) LMV with engine capacity above 1500 cc and upto 2000 cc.		3000
	(iii) LMV with engine capacity above 2000 cc with seating capacity upto 5.		4000
	(iv) LMV with engine capacity above 2000 cc with seating capacity more than 5.		5000
	(C) Other than above non-transport vehicles		1000
2	**Transport Vehicle**	At the time of registration under section 41, or assignment under section 47 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988) and thereafter at the time of renewal of fitness certificate under section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988).	
	(A) Two wheeled passenger vehicle/ three wheeled passenger and goods vehicle		300
	(B) Other than three wheeled passenger and goods vehicle		
	(i) Light motor vehicle		
	(a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration		1000
	(b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration.		1500
	(ii) other than light motor vehicle		

29

	(a) if the age of the vehicle is 6 years or less from the date of its first registration		1500
	(b) if the age of the vehicle is more than 6 years from the date of its first registration.		2000

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/24D]
By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11), की धारा 4-घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/09/24सी दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथा-विनिर्दिष्ट यानों के विभिन्न वर्गो के लिए ग्रीन कर के नाम से उपकर की दर, स्तम्भ संख्यांक 3 में यथा-विनिर्दिष्ट समय पर, उसके स्तम्भ संख्यांक 4 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दर पर इसके द्वारा विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्र. सं.	यान का वर्ग	समय	उपकर की दर (रुपये में)
1	2	3	4
1.	**गैर-परिवहन यान**		
	(क) दुपहिया	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 41 की उप-धारा (10) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय।	500
	(ख) डीजल चलित चार पहिया यान (कार, जीप)		
	(i) 1500 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान		2000
	(ii) 1500 सीसी से अधिक और 2000 सीसी तक इंजन क्षमता के साथ हल्के मोटर यान		3000
	(iii) 5 तक की सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		4000
	(iv) 5 से अधिक सीट क्षमता के साथ 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले हल्के मोटर यान		5000
	(ग) उपर्युक्त गैर परिवहन यानों से भिन्न		1000
2.	परिवहन यान	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या धारा 47 के अधीन समनुदेशन के समय और तत्पश्चात् मोटर	
	(क) दुपहिया यात्री यान/ तिपहिया यात्री और माल यान		300
	(ख) तिपहिया यात्री और माल यान से भिन्न यान		
	(i) हल्के मोटर यान		
	(क)यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या		1000

	कम हो	यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 56 के अधीन सही हालत में होने के प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय।	
	(ख)यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		1500
	(ii) हल्के मोटर यान से भिन्न		
	(क)यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष या कम हो		1500
	(ख)यदि यान की आयु उसके प्रथम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह वर्ष से अधिक हो		2000

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एच.क्यू/95/24डी]

राज्यपाल के आदेश से

डॉ. मनीषा अरोड़ा,

संयुक्त शासन सचिव